# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

**पत्र संख्या- 200/2026** **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** **दिनांक- 26.05.2026**

**डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 26.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

**प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26.05.2026**
**थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़**

**जमीन की खरिद-फरोख्त व पैसों के लेन देन को लेकर साथियों ने षड़यन्त्र कर की अपने साथी की हत्या**

**थाना मुबारकपुर पुलिस को हत्या कांड के खुलासे में बड़ी सफलता, दो अभियुक्त गिरफ्तार**

**सीडीआर व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, फारेन्सीक व मेडिकोलिगल के आधार पर हत्या प्रकरण का खुलासा, घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद**

**सुशील हत्याकांड में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर अवैध असलहा व कारतूस बरामद**

**पूर्व की घटना-**

दिनांक 21.05.2026 को वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र सन्तराज ग्रा0 कोढ़वाँ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दिया गया था, कि दिनाँक 20.05.2026 की रात्रि 10 बजे वादी का भाई सुशील अपने साथी उमाशंकर उर्फ पिन्टू यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर के साथ उसके चार पहिया वाहन से निमंत्रण मे गये थे। उमाशंकर यादव द्वारा वादी को लगभग 12 बजे रात्रि में सूचना भेजवायी गयी कि रानीपुर गाँव जाने वाले मुख्य मार्ग हनुमान मन्दिर के पास पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र सुरजू सिंह सा0 कोढ़वाँ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ एवं अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी बनवारी मोड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आवेदक के भाई सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है जिसके सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 197/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2), 5, SC/ST ACT बनाम 1.पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र सुरजू सिंह सा0 कोढ़वाँ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, 2.अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी बनवारी मोड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व 3. एक अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

➡ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल द्वारा प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना सीडीआर, इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व सीन रिक्रियेसन आदि से अभियुक्तों 1. उमाशंकर उर्फ पिन्टू यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ तथा 2. वीरेन्द्र उर्फ बिन्दू यादव पुत्र स्व0 सत्यदेव यादव पता कोढ़वा अचलपार, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 26.05.2026 को पुलिस उपाधीक्षक/थाना प्रभारी मुबारकपुर मय हमराह क्षेत्रभ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू सठियांव स्टेशन की तरफ जा रहा है जो कही भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक/थाना प्रभारी मय हमराह द्वारा सठियांव से रेलवे स्टेशन को ओर जा रहे 01 संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो भागना चाहा जिसे मौके से समय करीब 01.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू पुत्र प्रेमचन्द यादव सा0 रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष बताया जिसके पास से 400 रुपये बरामद हुआ।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.05.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त वीरेंद्र यादव उर्फ बिन्दु यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी अचलपार कोढवा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को कोढ़वा अचलपार मुख्य मार्ग पर स्थित मन्दिर के पास से समय करीब 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 150 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस घटना स्थल के पास झाड़ी से बरामद किया गया।

**बरामदगी**- 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ बिन्दू यादव की निशानदेही पर)

**गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता-**

1. उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू पुत्र प्रेमचन्द यादव सा0 रानीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 36 वर्ष।
2. वीरेन्द्र यादव उर्फ बिन्दु यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी अचलपार कोढ़वा, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 20.05.2026 को पूर्व योजना के तहत उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू यादव के बुलाने पर वीरेंद्र यादव उर्फ बिन्दु यादव रानीपुर गया था। जहां पर उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू अपने चार पहिया वाहन के साथ मिला। उसकी गाड़ी मे पहले से सुशील कुमार पुत्र सन्तराज निवासी कोढ़वा, थाना जहानागंज, आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष मौजूद था जो नशे की हालत मे था। अभियुक्त गाड़ी को रानीपुर हरिजन बस्ती के आगे सुनसान रास्ते पर ले गये जहां पर उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू ने जमीन की खरिद-फरोख्त व पैसों के लेन देन की बात को लेकर ड्राइवर सीट के बगल मे बैठे सुशील कुमार के सिर मे गोली मार दिया, जिससे मौके पर सुशील कुमार की मृत्यु हो गयी। उमाशंकर यादव अपनी गाड़ी मे ड्राइवर के बगल वाली सीट के शीशे मे 01 राउण्ड फायर तथा 01 राउन्ड गाडी पर फायर किया और वीरेंद्र यादव को तमंचा व 02 कारतूस देकर छिपाने के लिये मौके से भगा दिया। वीरेंद्र यादव उक्त अवैध तमंचे को घटनास्थल के पास स्थित बिजली के खंभे के पास झाड़ी मे रखकर भाग गया था। जिसे अभियुक्त विरेन्द्र यादव की निशादेही पर बरामद किया गया है।

**पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0- 197/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहासः-**

**वीरेन्द्र यादव उर्फ बिन्दु यादव**

1- मु0अ0सं0 197/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

**उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू**

1- मु0अ0सं0 197/2026 धारा 103(1) BNS व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2- मु0अ0सं0 297/2017 धारा 307,419,420467,468,471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- पु0उपा0/थाना प्रभारी शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह थाना मुबारकपुर आजमगढ।
2- व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।